(Rs. in Crores)

Coal Company	States	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (upto Sept. 94)
CIL	Maharashtra	61.04	108.86	111.09	64.15
CIL	Madhya Pradesh	240.20	384.52	369.56	168.14
CIL	Uttar Pradesh	47.49	66.76	70.39	32.51
CIL	Assam	0.64	0.54	0.44	0.41
CIL	: Andhra Pradesh	720.71	1136.83	1190.18	558.59
SCCL	TOTAL	35.42	100.00	291.30	24.86

(b) Coal prices are fixed by Central Govt, ex-pithead excluding all taxes. Royalty payments are not taken into account while determining costs for price fixation.

(c) Does not arise in view of reply to (b) above.

कोयले की वार्षिक आय

1982. **श्री जगजन्नाथ सिंह:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार को कोयले से राज्य-वार कितनी वार्षिक आय प्राप्त हो रही है; और

(ख) उक्त वार्षिक आय में से प्रत्येक राज्य को किस दर पर रायल्टी दी जाती है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) कोयले की रायल्टी एक कर के रूप में होती है जोकि केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाई जाती है, किन्तु इसका राज्य सरकारों द्वारा, जहां कि कोयला उत्पादित किया जाता है, संग्रहण तथा विनियोजन किया जाता है। चालू दरें जिन पर की कोयले की रायल्टी देय है, विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)

केन्द्रीय सरकार, कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 6 की शर्तों के अंतर्गत प्रत्येक कोलियरी से प्रेषित किए गए कोयले से उत्पादन शुल्क का संग्रहण करती है। संग्रहण किए गए उत्पाद शुल्क में से कोयले के संरक्षण तथा इससे संबंधित क्रियाकलापों जैसे रेत भराई, सुरक्षात्मक क्रियाकलाप सतही खांचों की सुरक्षा, वैज्ञानिक रूप में कोयला खानों का विकास तथा कोयला क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किए जाने के लिए सहायता दी जाती है।

विवरण

कोयले पर रायल्टी की दिनांक 11.10.94 से संशोधित दरें और जिनमें 13.1.95 से और संशोधित की गई थीं

(रु० प्रति टन)

	राज्यों के लिए पश्चिम बंगाल तथा मेघालय को छोड़कर	पश्चिम बंगाल तथा मेघालय राज्यों के लिए
I कोयला:		
(क) कोककर कोयला:		
इस्पात ग्रेड—I, इस्पात ग्रेड-II और वाशरी ग्रेड-I	195.00	7.00

(ख)	अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड में उत्पादित हाथ से उठाया गया कोयला	150.00	150.00
(II)	ग्रुप -II कोयला:		
(क)	कोककर कोयला: वाशरी ग्रेड-II, वाशरी ग्रेड-III	135.00	6.50
(ख)	अर्द्ध-कोककर कोयला ग्रेड-I अर्द्ध कोककर कोयला ग्रेड-II		
(ग)	गैर-कोककर कोयला ग्रेड-ए गैर-कोककर कोयला ग्रेड-बी		
(घ)	अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड में उत्पादित बिना ग्रेड का खान से निकाला हुआ कोयला	120.00	120.00
(III)	ग्रुप-III कोयला:		
(क)	कोककर कोयला वाशरी ग्रेड-4	95.00	5.50
(ख)	गैर-कोककर कोयला ग्रेड-सी		
(IV)	ग्रुप-4 कोयला:		
(क)	गैर-कोककर कोयला ग्रेड "डी"	70.00	4.30
(ख)	गैर-कोककर कोयला ग्रेड-"ई"		
(V)	ग्रुप-5 कोयला:		
(क)	गैर-कोककर कोयला ग्रेड "एफ"	50.00	2.50
(ख)	गैर-कोककर कोयला ग्रेड "जी"		
(VI)	ग्रुप-6 कोयला:		
	आंध्र प्रदेश राज्य में उत्पादित कोयला, सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि०	75.00	—

Demand of Coal

1983. SHRI AJIT P.K. JOGI: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) what quantity of coal would be required during the year 1995-96 and during next three years for meeting the requirements of various industrial groups and for domestic consumption;

(b) whather Coal sector/Public Sector Undertakings have taken any steps for meeting coal requirement; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) Sector-wise demand projections for the year 1995-96 and 1996-97 is given below:—